प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक-2879/1998

अपीलार्थी रमेश प्रसाद अहिरवार

बनाम

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य(वर्तमान में छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से:- श्री रणबीर सिंह मरहास, अधिवक्ता

राज्य की ओर से:- श्री भास्कर प्यासी, पैनल अधिवक्ता

निर्णय (मौखिक)

(दिनाँक 29.08 2012 को घोषित)

1. इस अपील के माध्यम से, अपीलार्थी ने विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 9/93 में पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दंडादेश दिनांक 30-11-1998 की वैधता, विधिमान्यता और औचित्यता को चुनौती दी है, जिसके द्वारा और जिसके अधीन अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम") की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया गया है तथा प्रत्येक अपराध के लिए एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर तीन माह के साधारण कारावास का दंडादेश दिया गया है। दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाने का निर्देश दिया गया है

2. मामले के अभिलेखों, प्रथम सूचना प्रतिवेदन और विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय से प्रकट होने वाली अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता -धरमू (अ.सा-10) को दो तालाबों में मछली पालन के लिए पट्टा प्रदान किया गया था। उसने तालाब की मछलियों को यशोदा केवंटिन को बेचने का करार किया था और इस संबंध में अनुमति प्राप्त करने के लिए उसने अपीलार्थी से संपर्क किया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा 200/- रुपये की रिश्वत की मांग की गई। चूंकि शिकायतकर्ता रिश्वत देने का इच्छुक नहीं था, वह उसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति कार्तिक राम के पास गया और इस सम्बन्ध में शिकायत प्रदर्श पी-5 तैयार किया तथा शिकायत रायपुर स्थित सतर्कता कार्यालय में प्रस्तुत किया। शिकायत प्राप्त होने पर, सतर्कता दल द्वारा शिकायतकर्ता से करेन्सी नोट (मुद्रा नोट) , जिसे रासायनिक रूप से उपचारित किया गया था, लेकर ट्रैप कार्यवाही की तैयारी की गई और फिर करेन्सी नोटों को निर्देशों के साथ उसकी जेब में रख दिया गया। पंच साक्षियों और शिकायतकर्ता की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ फेनोल्फथेलिन पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का भी प्रदर्शन किया गया। उपरोक्त कार्यवाही को पंचनामा प्रदर्श पी-6 के रूप में अभिलिखित किया गया। अभियोजन का मामला आगे यह है कि उसके बाद, ट्रैप दल शिकायतकर्ता के साथ अपीलार्थी की तलाश में गया, अपीलार्थी उन्हें बाजार में मिला, जहाँ शिकायतकर्ता ने उससे बात की और अपीलार्थी को रिश्वत की राशि दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि अपीलार्थी ने उसे अपनी जेब में रख लिया। उसी समय, ट्रैप दल मौके पर पहुँच गया, अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलार्थी की जेब से रासायनिक रूप से उपचारित नोट बरामद किया। शिकायतकर्ता के हाथों के साथ-साथ करेंसी नोटों को भी सोडियम कार्बोनेट के घोल में धोया गया और घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार एकत्र किया गया हाथों के धोवन को अलग-अलग बोतलों में रखकर सीलबंद किया गया। करेंसी नोटों, कमीज (पहने हुए वस्त्र) और अन्य सीलबंद बोतलों को प्रदर्श पी-8 के माध्यम से जब्त किया गया। ट्रैप पंचनामा प्रदर्श पी-9

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तैयार किया गया। रसीद बुक, विवरण और रजिस्टर प्रदर्श पी-10 के माध्यम से जब्त किया गया। पटवारी द्वारा प्रदर्श पी-11 के माध्यम से मौका नक्शा तैयार किया गया। प्रदर्श पी-12 के माध्यम से देहाती नालिशी भी दर्ज किया गया। पट्टा संबंधी दस्तावेज और अन्य रसीदें प्रदर्श पी-13 के माध्यम से जब्त किया गया। कथनों को प्रदर्श पी-13 और पी-14 के माध्यम से अभिलिखित किया गया। एक अन्य मौका नक्शा भी प्रदर्श पी-16 के माध्यम से तैयार किया गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-17 के रूप में दर्ज किया गया। हाथों के धोवन तथा अन्य घोल वाली सीलबंद बोतलों को दिनांक 22-02-1990 के कवरिंग मेमो (प्रदर्श पी-18) के माध्यम से रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसके जवाब में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन दिनांक 21-10-1993 (प्रदर्श पी-19) प्राप्त हुआ। अभियोजन हेतु मंजूरी भी प्रदर्श पी-18 के माध्यम से प्राप्त किया गया। सामान्य विवेचना पूरा होने के बाद, अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आरोप पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 25-08-1993 को अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के तहत कारित अपराध के सम्बन्ध में आरोप विरचित किया। अपीलार्थी ने अपराध करना अस्वीकार किया और किसी भी प्रकार की रिश्वत प्राप्त करने से इनकार किया, जिसके पश्चात उसका विचारण किया गया।

4. अपने मामले को सिद्ध करने के लिए, कई दस्तावेज प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, अभियोजन ने 12 साक्षियों का परीक्षण कराया है, जिनमें बी.बी. दास (अ.सा-1), कु. यशोदा बेहरा (अ.सा-2), रेतराम (अ.सा-3), ए.के.वर्मा (अ.सा-4), सुदामा राम बरिहा (अ.सा-5), कार्तिक राम (अ.सा-6), रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7), बी.आई.आर.नायडू (अ.सा-8), नंद कुमार सिंह (अ.सा-9), धरमू

(अ.सा-10), गजाधर प्रसाद पटेल (अ.सा- 11) और ओ.पी. दुबे (अ.सा-12) शामिल हैं। अभियोजन के साक्ष्य से प्रकट होने वाली अभियोगात्मक परिस्थितियों और साक्ष्यों के संबंध में अपीलार्थी का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया। रिश्वत प्रतिगृहीत करने से इनकार करते हुए, अपीलार्थी ने राशि की प्राप्ति का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यह पैसा धरमू द्वारा मछली बीज की खरीद के लिए था, और इस सम्बन्ध में जब वह रसीद तैयार कर रहा था, तब ट्रैप दल द्वारा उसे पकड़ लिया गया। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के केस डायरी कथनों का खंडन करने के उद्देश्य से, अपीलार्थी ने उनके कथनों को अभिलेख पर प्रदर्श डी-1 से डी-4 के रूप में प्रस्तुत किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए तथा अपीलार्थी के बचाव को खारिज करते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को अपराध कारित करने का दोषी ठहराया और ऊपर वर्णित अनुसार दंडादेश पारित किया।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश की औचित्यता और वैधता को चुनौती देते हुए पुरजोर ढंग यह तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग किये जाने को प्रमाणित करने में पूरी तरह विफल रहा है फिर भी अपीलार्थी की दोषसिद्धि का आदेश पारित किया गया है। उनके अनुसार, शिकायत (प्रदर्श पी-8) में वर्णित कहानी पूरी तरह झूठी साबित हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा-10) के स्पष्ट और प्रभावी साक्ष्यों के दृष्टिगत रिश्वत की मांग करने की कहानी जो शिकायत प्रदर्श पी-5 में बताया गया है मिथ्या हो जाती है। उनके अनुसार धरमू (अ.सा-10) ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने न तो कभी भी रिश्वत की मांग की थी और न ही उसने कभी भी अपीलार्थी के विरुद्ध

शिकायत दर्ज़ कराने के बारे में निर्णय लिया था, कार्तिक राम उसे एक कार्यालय में ले गया और उसे कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा, तब उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि शिकायतकर्ता धरमू मुख्य-परीक्षण में दिए गये साक्ष्य पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहा तथा अपने प्रति-परीक्षण तथा संपूर्ण साक्ष्य में उसने न केवल अभियोजन की संपूर्ण कहानी को ध्वस्त कर दिया है अपितु इस बात की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है कि न्यायालय यह अनुमान लगाये कि अपीलार्थी अपराध में झूठा फंसाये जाने के षड़यंत्र का पीड़ित है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि स्वतंत्र पंच साक्षीगण ए.के वर्मा (अ.सा-4), रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7) ने रिश्वत की मांग के या अवैध परितोषण, जो स्वमेव तथाकथित अपराध गठित करती है, के रूप में रिश्वत को प्रतिगृहीत किये जाने के सम्बन्ध में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। पंच साक्षियों ने केवल इतना बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा कुछ राशि अपीलार्थी को दिया गया जिसे बाद में बरामद किया गया जो अपने आप में मांग के प्रमाण के बिना था तथा अधिनियम की धारा 7 तथा 13 के अंतर्गत आने वाले शब्द "प्रतिगृहीत" के अर्थ में रिश्वत प्रतिगृहीत किये जाने के श्रेणी में नहीं आता है। यह भी तर्क दिया गया है कि स्वतंत्र पंच साक्षियों ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा तत्काल यह स्पष्टीकरण दिया गया था कि उक्त राशि मछली के बीजों की कीमत के भुगतान के रूप में प्राप्त की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा-.10) ने भी ऐसा ही कथन किया है, इसलिए, अपीलार्थी का यह बचाव कि उसके द्वारा राशि किसी अन्य उद्देश्य के लिए अर्थात् मछली के बीजों की खरीद के लिए लिया गया था, एक विश्वसनीय एवं संभावित बचाव है तथा 1988 के अधिनियम की धारा 20 के तहत उपधारणा के खंडन हेतु एक उचित स्पष्टीकरण है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि जहाँ मांग स्वयं प्रमाणित नहीं हुआ है, वहाँ मात्र धन का लिया जाना धन 'प्रतिगृहीत किया गया' नहीं माना जा सकता, जिससे कि यह उपधारणा भी की जा सके कि इसे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अवैध परितोषण के रूप में प्रतिगृहीत किया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **संजू उर्फ संजय सिंह सेंगर बनाम मध्य प्रदेश राज्य[1] (कंडिका 5, 16), टी. सुब्रमणियन बनाम तमिलनाडु राज्य[2] (कंडिका 12, 15 से 18) तथा बनारसी दास बनाम हरियाणा राज्य[3] (कंडिका 19, 20, 25 और 26)** के मामलों में दिये गये निर्णयों पर भरोसा जताया है।

7. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश का समर्थन किया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया कि दोषसिद्धि का निर्णय अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण और उनके व्यवस्थित विश्लेषण के आधार पर अभिलिखित किए गए विशिष्ट निष्कर्षों पर आधारित है; जिसमें यह पाया गया है कि यद्यपि शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा-10) ने 'मांग' के संबंध में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है, फिर भी उसके द्वारा दर्ज़ शिकायत (प्रदर्श पी-5), जिसे स्वतंत्र अभियोजन साक्षीगण ए.के. वर्मा (अ.सा-4) और रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7) ने सत्यापित होने का पूर्ण रूप से पुष्टि किया है, से 'मांग' प्रमाणित होता है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि यह तथ्य कि अपीलार्थी ने बाजार में शिकायतकर्ता से बात किया और उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए रूपए को लिया और अपनी जेब में रख लिया, रिश्वत प्रतिगृहीत किये जाने के समान है। उनका तर्क है कि यह तथ्य कि राशि शिकायतकर्ता द्वारा दिया गया था और अपीलार्थी द्वारा लिया गया था, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से प्रभावशाली रूप से प्रमाणित किया गया है, जिसमें ए.के. वर्मा (अ.सा-4), रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7), बी. आई. आर. नायडू (अ.सा-8), नंद कुमार सिंह (अ.सा-9), धरमू (अ.सा-10) और ओ.पी. दुबे (अ.सा-12) ने कथन किया है कि 200/- रुपये की राशि शिकायतकर्ता द्वारा दिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] (2002) 5 SCC 371
[2] (2006) 1 SCC 401
[3] (2010) 4 SCC 450

गया था और अपीलार्थी द्वारा उसे स्वीकार किया गया था। यहाँ तक कि अपीलार्थी ने भी राशि प्रतिगृहीत करने के तथ्य पर विवाद नहीं किया है, इसलिए अधिनियम की धारा 20 के तहत वैधानिक उपधारणा लागू होगा और यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि राशि अवैध परितोषण के रूप में प्रतिगृहीत किया गया था। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया कि वे परिस्थितियाँ, जिनमें अपीलार्थी द्वारा धन प्राप्त किया गया था, स्पष्ट रूप से प्रतिगृहीत किया गया की श्रेणी में आता हैं, इसलिए, यह न्यायालय को स्वयं यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है कि यह प्रतिग्रहण अपीलार्थी द्वारा किये गये रिश्वत की मांग के अनुसरण में किया गया था।

8. **सी.के. दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार**[4] के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(1)(घ) [जो अब 1988 के अधिनियम की धारा 13(1)(घ) है] में प्रयुक्त शब्द "अभिप्राप्त किया" पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और इस प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 483, कंडिका 12)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 12. "जहाँ तक अधिनियम की धारा 5(1)(घ) सहपठित धारा 5(2) के तहत अपराध का संबंध है, वहाँ स्थिति भिन्न होगी। ऐसे अपराध के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने भ्रष्ट या अवैध साधनों से अथवा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके 'मूल्यवान वस्तु' या 'धनीय लाभ' अभिप्राप्त किया है, और वह भी अधिनियम की धारा 4(1) के तहत दी गई वैधानिक उपधारणा की सहायता के बिना, क्योंकि यह उपधारणा केवल धारा 5(1)(क) और (ख) के तहत कारित अपराधों के संबंध में उपलब्ध है-न कि अधिनियम की धारा 5(1)(ग), (घ) या

[4] (1997) 9 SCC 477

(ड़) के तहत। 'अभिप्राप्त करना' का अर्थ है अनुरोध या प्रयास के परिणामस्वरुप (कुछ) हासिल करना या अभिलाभ प्राप्त करना (शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी)। 'अभिप्राप्ति' के मामले में पहल उस व्यक्ति में निहित होती है जो प्राप्त करता है और उस संदर्भ में, भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के विपरीत, अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के तहत अपराध के लिए उसकी ओर से 'मांग' या 'अनुरोध' एक प्राथमिक आवश्यकता होगी, जिसे जैसा कि ऊपर देखा गया है, 'प्रतिग्रहण' या 'अभिप्राप्ति' में से किसी के भी प्रमाण द्वारा स्थापित किया जा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह विधिक स्थिति अब अनिर्णीत नहीं रह गई है कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के तहत किसी अपराध के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि लोक सेवक द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ की 'मांग' या 'अनुरोध' का प्रमाण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में,लोक सेवक द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ के लिए की गई मांग या अनुरोध के साक्ष्य के अभाव में, धारा 13(1)(घ) के तहत अपराध को स्थापित नहीं माना जा सकता है।"

9. **ए.सुबैर बनाम केरल राज्य**[5] के मामले में अपने बाद के निर्णय में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अधिनियम की धारा 7 और धारा 13(1)(घ) के आवश्यक तत्वों (घटकों) का परीक्षण निम्नानुसार किया है:-

13. “धारा 7 के आवश्यक तत्व (घटक) निम्नलिखित हैं:

(i) कि परितोषण प्रतिगृहीत करने वाला व्यक्ति एक लोक सेवक होना चाहिए;

[5] (2009) 6 SCC 587

(ii) कि उसे अपने स्वयं के लिए परितोषण प्रतिगृहीत करना चाहिए और वह परितोषण किसी शासकीय कृत्यों को करने या करने से प्रविरत रहने के लिए, अथवा अपने शासकीय कृत्यों के निष्पादन में किसी व्यक्ति को लाभ या हानि पहुँचाने या पहुँचाने से विरत रहने के हेतुक या ईनाम के रूप में होना चाहिए।"

14. जहाँ तक अधिनियम की धारा 13(1)(घ) का संबंध है, इसके आवश्यक तत्व (घटक) निम्नलिखित हैं:

(i) कि वह एक लोक सेवक होना चाहिए;

(ii) कि उसने भ्रष्ट या अवैध साधनों का उपयोग किया हो अथवा उस लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया हो; और

(iii) कि उसने अपने स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त किया हो।“

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अत: स्थापित विधिक स्थिति, जो अब अनिर्णीत नहीं रह गई है, यह है कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के तहत किसी अपराध के लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि लोक सेवक द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ की 'मांग' या 'अनुरोध' का प्रमाण होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोक सेवक द्वारा किसी मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ के लिए की गई मांग या अनुरोध के साक्ष्य के अभाव में, धारा 13(1)(घ) के तहत अपराध को स्थापित (प्रमाणित) नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त सुस्थापित विधिक स्थिति को कई निर्णयों में बार-बार दोहराया गया है। इसलिए, कथित अपराध को सिद्ध करने के लिए आवश्यक तत्वों (घटकों) में से एक लोक सेवक द्वारा रिश्वत की मांग किया जाना है।

10. कथित अपराध के कारित होने के आवश्यक घटकों के संबंध में उपरोक्त सुस्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह पता लगाने के लिए कि क्या अभियोजन मांग को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, मैं अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का परीक्षण करूँगा।

13. यद्यपि अभियोजन ने अभिलेख पर शिकायत (प्रदर्श पी-5) प्रस्तुत किया है, जिसके बारे में कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा- 10) द्वारा पुलिस अधीक्षक,(सतर्कता), रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, किंतु शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा-10) ने न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण में अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है, विशेष रूप से 'मांग' की कहानी के संबंध में, और उसने कथित शिकायत (प्रदर्श पी-5) के विरुद्ध गवाही दी है। लिखित शिकायत की अंतर्वस्तु के विपरीत, शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा -10) ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका-1 में जोर देकर यह कथन किया है कि उसे कार्तिक राम द्वारा बिना कोई कारण बताए रायपुर लाया गया था, और उसके बाद, शिकायतकर्ता को किसी कार्यालय में ले जाया गया, जहाँ वह शांत रहा और कार्तिक राम ने उससे कहा कि 200/- रुपये एक व्यक्ति को देना हैं और वह कह रहा था कि पैसा मत्स्य अधिकारी को दिया जाना है; वह कार्तिक राम ही था जिसने कहा था कि मत्स्य अधिकारी रिश्वत मांग रहा है। अपने बयान के कंडिका-2 में, उसने आगे कथन किया है कि कार्तिक राम ने एक दस्तावेज तैयार किया था, जिसकी अंतर्वस्तु के बारे में वह नहीं जानता क्योंकि वह पढ़ा-लिखा नहीं है और वह केवल हस्ताक्षर कर सकता है। उसका हस्ताक्षर प्राप्त किया गया और फिर उसे 200/- रुपये देने के लिए कहा गया, जिस पर उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की, तत्पश्चात् कार्तिक राम ने 200/ रुपये निकाले और अधिकारियों को दे दिए। उसने आगे यह कथन किया कि वह नहीं जानता कि उन करेंसी नोटों के साथ क्या उपचार किया गया था और फिर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

200/- रुपये उसकी जेब में रख दिया गया, जिस पर उसने आपत्ति जताई कि यह सब क्या हो रहा है। उसने आगे कथन किया कि जब वह ट्रैप दल के साथ आगे बढ़ा, तो उसे बाजार में मत्स्य निरीक्षक को पैसे देने के लिए कहा गया, जिस पर उसने पूछा कि ऐसे नोट देने की क्या आवश्यकता है, तो अधिकारियों ने समझाया कि यह पैसा कार्तिक राम द्वारा मछली के बीजों की लागत की शेष राशि के रूप में भुगतान किया जाना है; इसलिए उसने सोचा कि यह राशि मछली के बीजों के भुगतान के लिए देय था। उसके बाद, जब वह अपीलार्थी से मिला और पूछा कि क्या मछली के बीजों के भुगतान की कोई शेष राशि शेष है, तो सकारात्मक उत्तर मिलने पर उसने अपीलार्थी को यह कहते हुए पैसे दिए कि यह राशि कार्तिक राम की ओर से दी जा रही है और उस समय अपीलार्थी ने पैसे ले लिए। जब अपीलार्थी रसीद देने ही वाला था, तभी ट्रैप दल के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. शिकायतकर्ता के उपरोक्त साक्ष्य के दृष्टिगत, कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि, यह अभियोजन के संपूर्ण मामले को, जहाँ तक मांग की कहानी का संबंध है ,पूर्ण रूप से ध्वस्त करता है। साक्ष्य में ऐसी कोई बात नहीं है जो दूर-दूर तक यह बताता हो कि किसी भी समय अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता से कोई मांग किया था। जिस तरह से शिकायत तैयार की गई थी, जैसा कि स्वयं शिकायतकर्ता ने कथन किया है, वह दर्शाता है कि शिकायत उसके निर्देशों के बिना तैयार किया गया था और वह नहीं जानता था कि शिकायत की अंतर्वस्तु क्या थी । उपरोक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है और सहायक लोक अभियोजक द्वारा किए गए उसके परीक्षण में, वह अपने इस कथन पर दृढ़ता से अडिग रहा है और उसने विशेष रूप से इस बात से इनकार किया है कि वह अनुमति प्राप्त करने के लिए कभी अपीलार्थी के पास गया था या अपीलार्थी द्वारा 200/- रुपये की कोई मांग किया गया था। उसने जोर देकर कहा है कि

उसने सतर्कता विभाग के अधिकारियों को कभी नहीं बताया कि अपीलार्थी ने कोई मांग किया था। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी के पकड़े जाने के बाद ही उसे पता चला कि वे अधिकारी रिश्वत के सम्बन्ध में किये जा रहे 'ट्रैप कार्यवाही' से सम्बंधित थे। अपने बयान के कंडिका-11 में, उसने इस सुझाव से पुनः इनकार किया कि 200/- रुपये की राशि मांग पर दी गई थी। अपनी घप्रतिपरीक्षण के कंडिका-12 में, उसने स्पष्ट किया है कि राशि यह समझ कर दिया गया था कि यह मछली के बीजों की लागत का भुगतान है और इसी अर्थ में अपीलार्थी ने भी राशि स्वीकार किया था, और जब अपीलार्थी ने कहा कि वह रसीद देगा, तब अधिकारियों ने अपीलार्थी को पकड़ लिया। उसने आगे अपने बयान के कंडिका- 15 में कहा है कि अपीलार्थी द्वारा कभी कोई पैसा नहीं मांगा गया था। अन्य अभियोजन साक्षी- ए.के.वर्मा (अ.सा-4), रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7), बी.आई.आर.नायडू (अ.सा-8), नंद कुमार सिंह (अ.सा-9) और ओ.पी. दुबे (अ.सा-12) ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि उन्होंने अपीलार्थी को करेंसी नोट सौंपते समय अपीलार्थी और शिकायतकर्ता के बीच हुई बातचीत को सुना था। अतः, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा किये गए मांग को प्रमाणित नहीं करता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. आक्षेपित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मांग की कहानी को इस तथ्य से निकाले गए निष्कर्ष के माध्यम से प्रमाणित माना है कि शिकायतकर्ता द्वारा 200/- रुपये की राशि दिया गया था और उसे अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया तथा अपनी जेब में रखा गया था। धन देने और लेने के उक्त तथ्य के सिद्ध होने पर, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुमान से यह भी प्रमाणित होता है कि मांग किया गया था। विद्वान विचारण न्यायालय का यह दृष्टिकोण पूर्णतः अवैध है और रिश्वत के मामले में मांग को प्रमाणित किये जाने के संबंध में सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत है।

16. यह अत्यंत सुस्थापित है कि मांग के प्रमाण और अवैध परितोषण के रूप में धन की स्वीकृति के अभाव में, आरोपी द्वारा धन प्राप्ति का केवल प्रमाण मात्र, दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। धन अवैध परितोषण के रूप में प्रतिगृहीत किया गया था, सिद्ध करना आवश्यक है। इसलिए, यह मांग के बाद होना चाहिए। जब तक मांग न हो, केवल धन का लेन-देन इस उपधारणा को जन्म नहीं देगा कि धन अधिनियम की धारा 20 के तहत अवैध परितोषण के रूप में प्रतिगृहीत किया गया था। धन को अवैध परितोषण के रूप में स्वीकार किए जाने की उपधारणा केवल तभी उद्भूत होती है जब पहले यह सिद्ध हो जाए कि मांग किया गया था। जब मांग ही सिद्ध नहीं होता है, तब धन का केवल लेन-देन अधिनियम की धारा 20 के तहत वैधानिक उपधारणा को जन्म नहीं देता है, जिससे कि आरोपी से यह स्पष्टीकरण मांगा जा सके कि धन उसके कब्जे में कैसे आया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अधिनियम की वैधानिक उपधारणा को पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया है और यह मानने के बावजूद कि शिकायतकर्ता ने मांग के सम्बन्ध में अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, एक ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए आगे बढ़ा , जो न तो तथ्यों में और न ही विधि में उपलब्ध है कि धन का प्रतिग्रहण अवैध परितोषण के लिए था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **सुभाष पर्वत सोनवने बनाम गुजरात राज्य**[6] के मामले में, प्रतिगृहीत की पूर्वोक्त अवधारणा को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1988 के अधिनियम और साथ ही 1947 के अधिनियम में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नानुसार स्पष्ट किया गया था:-

[6] (2002) 5 SCC 86

5 . हमारे विचार में, किसी अन्य साक्ष्य की अनुपस्थिति में केवल धन का प्रतिग्रहण, धारा 13(1)(घ)(i) के तहत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा । धारा 13(1)(घ) निम्नानुसार है:

13. **लोक सेवक द्वारा आपराधिक अवचार**- (1) कोई लोक सेवक आपराधिक अवचार का अपराध करने वाला कहा जाएगा -

(डी) यदि वह—

(i) भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त करता है; या

(ii) (ii) लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त करता है; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) (iii) लोक सेवक के रूप में पद धारण करते समय, बिना किसी लोक हित के, किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त करता है;"

(जोर दिया गया)"

6. अधिनियम की धारा 7 और 13(1)(क) और (ख) में, विधायिका ने विशिष्ट रूप से 'प्रतिगृहीत' या 'अभिप्राप्त' शब्दों का प्रयोग किया है। इसके विपरीत, धारा 13 की उप-धारा (1)(घ) में प्रयुक्त भाषा में भिन्नता है और इसमें 'प्रतिगृहीत' शब्द को विलोपित कर दिया गया है तथा 'अभिप्राप्त' शब्द पर बल दिया गया है। आगे उप-खंड (i) का आवश्यक तत्व यह है कि एक लोक

सेवक भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त करता है; उप-खंड (ii) के तहत, वह लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके ऐसी वस्तु प्राप्त करता है; और उप-खंड (iii) यह परिकल्पित करता है कि लोक सेवक के रूप में पद धारण करते समय, वह किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी लोक हित के कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त करता है। इसलिए, धारा 13(1)(घ) के तहत व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए,अभिलेख पर यह साक्ष्य होना चाहिए कि अभियुक्त ने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, या तो भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ 'अभिप्राप्त' किया है, या उसने किसी व्यक्ति के लिए बिना किसी लोक हित के कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. इस न्यायालय ने *राम कृष्ण बनाम दिल्ली राज्य* के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत इसी प्रकार के प्रावधानों की व्याख्या किया था। उक्त मामले में, न्यायालय ने धारा 5 की उप-धारा (1) के समान खंड (घ) पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि लोक सेवक ने भ्रष्ट या अवैध साधनों को अपनाया और उसके द्वारा अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ प्राप्त किया गया। न्यायालय ने अवलोकित किया: (एस.सी.आर पृष्ठ क्रमांक-188)

"एक अर्थ में, निस्संदेह यह सत्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अपराधों का कोई अतिव्यापन नहीं होता है। हमें मुख्य रूप से प्रयुक्त भाषा को देखना होगा और उसे प्रभावी बनाना होगा। मामलों का एक वर्ग तब उद्भूत हो सकता है जब लोक सेवक द्वारा अपने लिए धनीय लाभ प्राप्त करने हेतु भ्रष्ट या अवैध साधनों को अपनाया जाता है या उनका अनुसरण किया जाता है। 'अभिप्राप्त' शब्द, जिस पर बहुत अधिक बल दिया गया था, वह जो दिया गया है या देने का प्रस्ताव किया गया है उसे स्वीकार करने के विचार को समाप्त नहीं करता है, यद्यपि यह प्राप्तकर्ता की ओर से प्रयास के तत्व को भी दर्शाता है। कोई व्यक्ति उस धन को स्वीकार कर सकता है जो प्रस्तावित किया गया है, या रिश्वत के भुगतान की याचना कर सकता है, या धमकी या प्रपीड़न द्वारा रिश्वत वसूल कर सकता है; प्रत्येक मामले में, वह लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके धनीय लाभ प्राप्त करता है।"

(जोर दिया गया)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय ने आगे यह भी अवलोकित किया: (एस.सी.आर पृष्ठ क्रमांक-188)

"यह पर्याप्त है यदि लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके कोई व्यक्ति अपने लिए कोई धनीय लाभ प्राप्त करता है, जो कि पक्ष या विपक्ष दिखाने के हेतुक या ईनाम से पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो।"

8. इसी प्रकार, *एम.डब्ल्यू. मोहिउद्दीन बनाम महाराष्ट्र* राज्य के मामले में, न्यायालय ने धारा 13(1)(घ)(i) और (ii) पर विचार किया और ऊपर उद्धृत निर्णय के साथ-साथ 'अभिप्राप्त' शब्द के शब्दकोश अर्थ का संदर्भ देते हुए यह अवलोकित किया- कि क्या रिश्वत के रूप में दी गई वस्तु प्रतिगृहीत की गई थी और क्या रिश्वत के प्रतिग्रहण के माध्यम से धनीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्तकर्ता की ओर से कोई प्रयास किया गया था, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उस मामले में, न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह सिद्ध हो गया था कि आरोपी ने मांग .किया था और शिकायतकर्ता से यह पुष्टि भी प्राप्त की थी कि वह मांगी गई धनराशि लाया है और आरोपी के कहने पर ही, शिकायतकर्ता ने उस धन को आरोपी द्वारा दिए गए रुमाल में लपेटा और उसे आरोपी द्वारा लाए गए बैग पर रखा जैसा कि उसने निर्देश दिया था; इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए इन चरणों को ध्यान में रखा गया था कि आरोपी ने वास्तव में आर्थिक लाभ अभिप्राप्त किया है, अर्थात उसने अवैध परितोषण प्राप्त किया है, इसलिए, न्यायालय ने धारा 13(1)(डी) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अंत में, *सी.के. दामोदरन नायर बनाम भारत सरकार* के मामले में, इस न्यायालय ने धारा 5(1)(घ) में प्रयुक्त 'अभिप्राप्त ' शब्द पर विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस.एस.सी पृष्ठ क्रमांक- 483, कंडिका 12)

"12. हालांकि, जहाँ तक अधिनियम की धारा 5(2) सहपठित धारा 5(1)(घ) के तहत अपराध का संबंध है, स्थिति भिन्न होगी। ऐसे अपराध के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि अभियुक्त ने भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा या अन्यथा लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'अभिप्राप्त' किया है, और वह भी अधिनियम की धारा 4(1) के तहत वैधानिक उपधारणा की सहायता के बिना, क्योंकि यह केवल अधिनियम की धारा 5(1)(क) और (ख) के अपराधों के संबंध में उपलब्ध है- न कि अधिनियम की धारा 5(1)(ग), (घ) या (ड़) के तहत। 'अभिप्राप्त' का अर्थ है अनुरोध या प्रयास के परिणाम के रूप में (कुछ) हासिल करना या प्राप्त करना (शॉर्टर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी)। 'अभिप्राप्ति' के मामले में, पहल उस व्यक्ति में निहित होती है जो प्राप्त करता है और उस संदर्भ में, उसके द्वारा किये गये मांग या अनुरोध अधिनियम की धारा 5(1)(घ) के तहत अपराध के लिए एक प्राथमिक आवश्यकता होगा, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत अपराध की तरह, जिसे, जैसा कि ऊपर देखा गया है, 'प्रतिग्रहण' या 'अभिप्राप्ति' में से किसी के भी प्रमाण द्वारा स्थापित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(जोर दिया गया)

9. यही स्थिति अधिनियम की धारा 20 के तहत साविधिक उपधारणा की भी है, जो धारा 7 या धारा 11 या धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उपलब्ध है, न कि धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के लिए।"

टी. सुब्रमण्यम बनाम तमिलनाडु राज्य[7] के एक अन्य मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:—

[7] (2007) 1 SCC 401

12. "दिनांक 10-07-1987 को अपीलार्थी द्वारा अभियोजन साक्षी-1 से मात्र 200 रुपये की प्राप्ति (जो अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया है), धारा 5(1)(क) या धारा 5(1)(घ) के तहत दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यदि उस राशि का 'अवैध परितोषण' के रूप में मांग और उसे प्रतिगृहीत किये जाने का कोई साक्ष्य न हो।"

----------xxxxx----------

----------xxxxx----------

18. अतः, अवैध परितोषण के रूप में धन प्रतिगृहीत करने के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष न तो साक्ष्य से और न ही अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों से अनुमानित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. ऐसा दर्शित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय शिकायत (प्रदर्श पी-5) और पंच साक्षीगण ए.के. वर्मा (अ.सा-4) एवं रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7) , जिन्होंने शिकायत के सत्यापन की बात कही थी, के कथनों से प्रभावित था। विद्वान विचारण न्यायालय ने शिकायत (प्रदर्श पी-5) को सारभूत साक्ष्य' मानकर स्वयं को गलत दिशा में निर्देशित किया। शिकायतकर्ता धरमू (अ.सा-10) के स्पष्ट, असंदिग्ध और सुदृढ़ साक्ष्य, जिसमें उसने कहा कि कोई रिश्वत नहीं मांगी गई थी, के सम्मुख पूर्व में दिया गया कोई कथन नहीं टिक सकता। चूंकि शिकायतकर्ता अपने प्रति-परीक्षण में भी अपने बात पर दृढ़ रहा, इसलिए यह सुझाव देने के लिए कि कोई मांग किया गया था, दूर-दूर तक कुछ भी नहीं है ।

20. इस मामले का एक अन्य पहलू भी है, जो अपीलार्थी की दोषसिद्धि को विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं बनाता है। अभियुक्त ने सुस्पष्ट बचाव लिया है कि उसके द्वारा ली गई राशि मछली के बीजों की कीमत के मद में थी।

21. **पंजाब राव बनाम महाराष्ट्र राज्य**[8] के मामले में, आरोपी जो कि एक पटवारी था, सरकार को देय ऋण राशि की वसूली के अभियान पर था। इस प्रकरण में जो शिकायतकर्ता था,उसने यह स्वीकार किया था कि वह सरकार का ऋणी था। अभियुक्त ने स्पष्टीकरण दिया कि संबंधित राशि ऋण के भुगतान के रूप में प्राप्त किया गया था। यद्यपि ऐसा स्पष्टीकरण वर्तमान मामले की तरह तुरंत नहीं दिया गया था, अपितु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किए गए बयान के समय दिया गया था, प्रकरण में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया (एस.सी.सी. पृष्ठ क्रमांक-372, कंडिका-3):

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> 3. "यह सिद्धांत सुस्थापित है कि जिस मामले में आरोपी कथित राशि प्राप्त करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, तब विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या उस स्पष्टीकरण को स्थापित माना जा सकता है। आगे यह भी स्पष्ट है कि आरोपी के लिए अपने बचाव को अभियोजन की तरह 'युक्तियुक्त संदेह से परे' प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है, परन्तु वह उसे 'संभाव्यता की प्रबलता' के आधार पर स्थापित कर सकता है।"

चतुरदास भगवानदास पटेल बनाम गुजरात राज्य[9] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत उद्भूत होने वाली साविधिक उपधारणा को खंडित करने का भार अभियुक्त पर होता

[8] (2002)10 SCC 371उपधारणा
[9] (1976) 3 SCC 46

है, जो अभियोजन पक्ष पर अपने मामले को प्रमाणित करने के लिए डाले गए भार जितना कठिन नहीं है किंतु, ऐसे भार का उन्मोचन, अभिलेख पर प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य लाकर यह युक्तियुक्त संभाव्यता के साथ स्थापित करके किया जाना चाहिए कि धनराशि को किसी हेतुक या ईनाम के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में स्वीकार किया गया था।

22. यदि अपीलार्थी के बचाव का परीक्षण उपरोक्त सिद्धांतों और वर्तमान मामले के साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आलोक में किया जाए, तब अपीलार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण अत्यंत संभाव्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया इसलिए क्योंकि दोनों पंच साक्षीगण ए.के. वर्मा (अ.सा-.4) और रमाकांत शुक्ला (अ.सा-7) ने यह कथन किया है कि जब अपीलार्थी से राशि की प्राप्ति के संबंध में पूछा गया, तो उसने तत्काल स्पष्टीकरण दिया कि यह राशि मछली के बीज की खरीद के लिये प्राप्त किया गया था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. इसके अतिरिक्त, साक्ष्य में, शिकायतकर्ता -धरमू (अ.सा-10) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राशि देते समय, अपीलार्थी इस उपधारणा में था कि राशि मछली के बीज की कीमत के रूप में दी जा रही है। इस प्रकार, अभियुक्त द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण दृढ़ता से विश्वसनीय और संभाव्य है, इसलिए, इस दृष्टिकोण से भी, अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता -धरमू (अ.सा-10) से केवल धन प्राप्त करना इस निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता कि राशि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत के रूप में प्राप्त की गई थी।

24. केवल धन की प्राप्ति, उन परिस्थितियों से अलग जिनमें वह भुगतान किया गया है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहाँ अभियोजन मांग को प्रमाणित करने में असफल रहा है, दोषसिद्धि के निष्कर्ष

तक नहीं ले जाता है। कृपया देखें [(1979) 4 एस.सी.सी 725, (2009) 3 एस.सी.सी 779, (2010) 4 एस.सी.सी 450 एवं (2009) 6 एस.सी.सी 587]

25. परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय तथा दंडादेश विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है इसलिये, इसे अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलार्थी जमानत पर है, उसे आत्मसमर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जमानत बंधपत्र निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादकर्ता - उत्तरा श्रीवास्तव, अधिवक्ता